ई0मेल द्वारा

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।

डाण्डा लखौण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।

ई–मेलः–dghealth.uttarakhand@gmail.com,दूरभाषः–0135–2608763,फैक्सः–0135–2608746

संख्या–21प / सा0 / कोविड सेल / विविध / 08 / 2020 3168 देहरादून, दिनांक 12 फरवरी, 2021

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **रैपिड एंटीजन टैस्टिंग की सेवाओं की दरों के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 155/XXVIII-1/21-01(6)2020 टी0सी01 दिनांक 02फरवरी, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करें(छायाप्रति सलंग्न)। जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के प्रभावरी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढ़ाये जाने के उद्देश्य से महामारी अधिनियम–1897 एवं उत्तराखण्ड महामारी कोविड–19 विनियमावली–2020 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत **"रैपिड एंटीजन टैस्टिंग"** हेतु पूर्व निर्धारित दरों को अतिकमित करते हुए NABH/NABL accredited निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की **रैपिड एंटीजन टैस्टिंग हेतु अधिकतम दर रूपये 354.00(तीन सौ चौवन रूपये मात्र)** निर्धारित की गयी हैं।

अतः आपको उत्तराखण्ड शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप छायाप्रति इस निर्देशित के साथ प्रेषित की जा रही है कि आप उक्त कार्यालय ज्ञाप की तिथि से समस्त निजी प्रयोगशालाओं को रैपिड एंटीजन टैस्टिंग की निर्धारित दरें लागू करवाना सुनिश्चित करें।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डॉ0 एस0के0 गुप्ता)
निदेशक(चि0स्वा0)
नोडल अधिकारी कोविड–19

संख्या–21प / सा0 / कोविडसेल / विविध / 08 / 2020 3169 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभारी सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. रजिस्ट्रार, उत्तराखण्ड आयुर्विज्ञान परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अध्यक्ष / सचिव, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, उत्तराखण्ड, जनपद देहरादून।

(डॉ0 एस0के0 गुप्ता)
निदेशक(चि0स्वा0)
नोडल अधिकारी कोविड–19

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्याः– /XXVIII–1/21–01(06)/2020 टी0सी01
देहरादूनः दिनांक 02 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में कोविड–19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम एवं टेस्ट की संख्या बढाये जाने के उद्देश्य से महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत 'रैपिड एंटीजन टैस्टिंग' हेतु पूर्व निर्धारित समस्त दरों को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–15प/भण्डार/38/2020/24 दिनांक 25 जनवरी 2021 के क्रम में NABH/NABL accredited निजी प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस के संक्रमण की **'रैपिड एंटीजन टैस्टिंग' हेतु अधिकतम दर रू0 354.00(तीन सौ चौवन रूपये मात्र)** निर्धारित की जाती है।

2– निजी प्रयोगशालाओं को सभी परीक्षण के पश्चात् आई0सी0एम0आर0 के पोर्टल पर रिपोर्ट दर्ज करने के अतिरिक्त संबंधित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्टेट सर्विलान्स अधिकारी को रिपोर्ट की एक प्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

3– उक्त का उल्लंघन महामारी अधिनियम 1897 एवं उत्तराखण्ड राज्य महामारी कोविड–19 विनियमावली 2020 के संगत प्राविधानों का उल्लंघन माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त निजी प्रयोगशालाओं द्वारा कोविड–19 के संदर्भ में भारत सरकार/राज्य सरकार/आई0सी0एम0आर0 द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों/आदेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 155 /XXVIII–1/21–01(6)2020 टी0सी01 तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव,मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौडी।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक,चिकित्सा शिक्षा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. मिशन निदेशक,एनएचम,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(मुकेश कुमार राय)
उपसचिव।

cs karylaygyap20